

नसूचना अधिकारी  
कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक  
उ0रे0, हजरतगंज, लखनऊ-226001

: जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु,

य,

कृपया उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निम्न सूचना देने का कष्ट करें-

राज्य रेल वाणिज्य नियमावली के अनुसार पोस्टल यान (Postal Van)की परिभाषा क्या है

नियम की प्रमाणित छायाप्रति दिया जाय।

कारी के अनुसार पूर्व में लाल रंग के विशेष प्रकार के बने फायर प्रूफ पलोर वाले डिब्बा पोस्टल यान (Postal Van) कहा जाता था तथा उसे प्रथम श्रेणी डिब्बा माना जाता था। वर्तमान समय में आर0एम0एस0 द्वारा द्वितीय श्रेणी एस0एल0आर0 डिब्बा प्रयोग किया रहा है क्या उसे प्रथम श्रेणी डिब्बा माना जाता है यदि हाँ तो किस नियम के तहत।

या उक्त नियम की प्रमाणित छायाप्रति दिया जाय।

य श्रेणी डिब्बा में कार्यरत आर0एम0एस0 यान को यात्रियों द्वारा पहचान करने के लिए

द्वारा क्या व्यवस्था की गई है।

में लाल रंग के विशेष प्रकार के पोस्टल यान के किराये के रूप में रेलवे द्वारा डाक

ग से किस दर से किराया लिया जाता था।

गान समय में रेलवे द्वारा डाक विभाग से पैसेन्जर एवं एक्सप्रेस ट्रेन के द्वितीय श्रेणी में

रत आर0एम0एस0 से किस दर से किराया वसूल किया जाता है।

पैसेन्जर ट्रेन संख्या 54334(2LV) (लखनऊ-वाराणसी) के द्वितीय में श्रेणी कार्यरत

0एम0एस0 बोगी के पहचान स्वरूप कोई सूचना पट लगाया जाता है यदि हाँ तो सूचना

पर क्या लिखा होता है?

सूचना अधिकार के फीस के रूप में रु 10/- एवं छाया प्रति के चार्ज के रूप में रु


/- का पोस्टल आर्डर क्रम संख्या 05F.....430925..... एवं 05F.....130926.....

संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्त दो पोस्टल आर्डर

दिनांक : 16.04.2012

(संदीप कुमार मौर्य)  
ई-2302, सेक्टर-6  
राजाजीपुरम, पो0आ0-आवास  
विकास कालोनी  
लखनऊ-226017  
मोबाइल-9453060330



26842 26/7

11.